



पीड़ित के लिए सम्पर्क की योजना (Victim Contact Scheme)

नैशनल प्रोबेशन सर्विस स्कीम के लिए एक परिचय (An introduction to the National Probation Service Victim Contact Scheme)

एनपीएस की पीड़ित के लिए सम्पर्क की योजना

द नैशनल प्रोबेशन सर्विस हायवूल्फ पुलिस या गवाह के लिए देखभाल करने की युनिट ने आपको यह पत्रिका दी है जिससे आपको विक्टिम कन्टैक्ट स्कीम के बारे में बताया जा सके। प्रोबेशन विक्टिम कन्टैक्ट की स्कीम के पास कानूनी कर्तव्य है कि वह आपको सम्पर्क करे क्योंकि आपने या किसी ने जो आपके काफी नज़दीक है वह एक लैंगिक या हिंसात्मक अपराध से पीड़ित है और अपराधी को 12 महीने या इससे अधिक के लिए कैद हुई है या उसको हस्पताल में बन्दी बनाया गया है जिस पर छुट्टी देने पर पावन्दी है।

आगे क्या होगा:

पुलिस आपके विवरण को विक्टिम कन्टैक्ट स्कीम को दे देगी जब तक कि आप उन्हें ऐसा न करने के लिए कहें। एक विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर आपको टैलिफोन के द्वारा या पत्र के द्वारा सम्पर्क करेगा कि जिससे आपको घर पर या दूसरी सुखदायी जगह पर अपाईन्टमेन्ट का प्रबन्ध किया जा सके। ऑफिसर यह देखेगा कि क्या आपको कोई विशेष आवश्यकताएँ हैं जो आप ध्यान में लाना चाहते हैं। उदाहरण के रूप में आप दुभापिए का प्रयोग करना चाहते हैं। यदि आप ऑफिसर को मिलें तो आप अपने मित्र या विक्टिम सपोर्ट के स्वयंसेवक भी आपके साथ हो सकता है।

अपराधी को अदालत के द्वारा सज़ा दिए जाने के आठ सप्ताहों के अन्दर आपको अपने ऑफिसर से जवाब मिलेगा। यदि आप सम्पर्क को पहले बनाना चाहते हैं तब आप अपने स्थानीय प्रोबेशन ऑफिसर हाउनका नम्बर आपकी स्थानीय टैलिफोन की डायरेक्टरी में होगा और उन्हें आपको विक्टिम सपोर्ट युनिट के साथ सम्पर्क कराने के लिए कहें।

इस सेवा के साथ आपका शामिल होना बिल्कुल स्वैच्छिक है और आप विक्टिम लिफ़्टन ऑफिसर के साथ सम्पर्क के लिए अपराधी को सज़ा देने के दौरान किसी भी समय अपना मन बदल सकते हैं।

उस समय पर मैं क्या आशा कर सकता/सकती हूँ यदि मैं विक्टिम लिफ़्टन ऑफिसर से मिलूँ:

ऑफिसर नीचे दिए गए करेगा:

- इस बात के बारे में देखेगा कि क्या आपको अपराधी के व्यवहार से कोई एकदम ख़तरा तो नहीं है
- बताएँ कि उस जानकारी के बारे में क्या होगा जो आपने विक्टिम कन्टैक्ट स्कीम में दी हो
- आपराधिक न्याय की प्रक्रिया के बारे में और जिस ढंग से प्रिज़न और सुरक्षित हस्पताल काम करते हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है
- वह बताएगा कि अपराधी कि सज़ा का क्या अर्थ है और इसके बारे में निर्णय कैसे लिए जाते हैं कि अपराधी कितनी देर प्रिज़न या हस्पताल में रहेगा
- वह आप से पूछेगा कि क्या आपको अपराधी को सज़ा देने के दौरान मुख्य गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलेगी हाउदाहरण के रूप में कैदी को किसी अलग श्रेणी के प्रिज़न या हस्पताल में भेजा गया है
- दूसरी सेवाओं के बारे में जानकारी को प्रदान किया जाना जो आपको स्थानीय क्षेत्र में लाभदायक होगी

उस हालत में क्या होगा जब अपराधी की पूरी सज़ा के दौरान विक्रिम लिफ्टन अफसर के साथ सम्पर्क में रहने का निर्णय लूँ?

यदि आपको अफसर के साथ सम्पर्क में रहना हो तो वह :

- बताएगा कि आप अपने विचारों को कैसे रख सकते हैं जो आप समझते हैं कि अपराधी पर रखे जाने चाहिए जिसे अन्त में जब पिज़न या हस्पताल से छोड़ा जाएगा। इसमें एक शर्त हो सकती है कि आपको या आपके परिवार को सम्पर्क नहीं किया जाए
- आपको बताए कि अपराधी कब छूट रहा है और आपके साथ कोई शर्त जुड़ी है
- आपके साथ सम्पर्क में रहे जब कि अपराधी की समाज में निगरानी की जा रही हो और आपको बताए कि अपराधी की निगरानी कब खत्म हो रही है

दूसरे लाभदायक नम्बर

**पिज़न सर्विस विक्रिम हेल्पलाइन
0845 7585 112**

आप इस हेल्पलाइन को फोन कर सकते हैं यदि आप कैदी से न चाहने वाले सम्पर्क के बारे में चिन्तित हैं।

हेल्पलाइन का स्टाफ़ आपकी काल के विवरण पिज़न पिज़न के गर्वनर को देगा जो जाँच करेगा और निर्णय लेगा कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें शामिल हो सकते हैं कैदी का पत्र व्यवहार और फोन कालें। हेल्पलाइन स्टाफ़ आपको व्यक्तिगत कैदियों के बारे में जानकारी नहीं दे सकता है पर वह आपको बताएंगे कि आपकी चिन्ताओं के साथ कैसे निपटा जाए।

**विक्रिम सपोर्ट
0845 30 30 900**

विक्रिम सपोर्ट उन लोगों के लिए राष्ट्रीय चैरिटी है जो अपराध से पीड़ित हैं। यह एक स्वतंत्र संगठन है और मुफ़्त और गोपनीय सेवा को समाज के सभी वर्गों को प्रदान करती है। स्वैच्छिक भावनात्मक या अभ्यासक सहायता को स्वैच्छिकों द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

शिकायतें

जो सेवा आप प्राप्त करते हैं यदि उस सेवा के बारे में कोई भी शिकायत है तो कृपया अपने विक्रिम लिफ्टन अफसर या उनके मैनेजर के साथ मिलें जो आपको सहायता करने का प्रयत्न करेगा। यदि यह काम न करे या आप मैनेजर के साथ बात नहीं करना चाहते हों तो आप लिखित रूप में अपने स्थानीय प्रोवेशन के क्षेत्र के चीफ़ अफसर को भेज सकते हैं। यदि आप सन्तुष्ट रहे हों तो आप स्थानीय प्रोवेशन बोर्ड को शिकायत कर सकते हैं जो आपकी चिन्ताओं की जाँच कर सकता है। यदि किसी भी शिकायत को ण्च के द्वारा सुलझाया नहीं जा सके तो अपील की अन्तिम स्टेज आपके स्थानीय संसद सदस्य के द्वारा होगी जो शिकायत को आपके लिए पार्लिमेन्ट्री ओम्बड्समन के साथ कर सकता है।

प्रश्न और आगे की जानकारी

इस पत्रिका में दी गई जानकारी के बारे में यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हैं या आप कोई भी अति आवश्यक चिन्ताओं के बारे में विक्रिम अफसर के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो आप अपने स्थानीय प्रोवेशन के क्षेत्र को सम्पर्क कर सकते हैं।

कृपया पूछें कि यदि आप यह पत्रिका किसी दूसरी भाषा में चाहते हैं।